

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान



अजमेर

Temporary Registration ID : 73756

प्रेषक

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

प्रेषित

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य
GOLDEN ACADEMY SECONDARY SCHOOL
पता **GOLDEN ACADEMY SECONDARY SCHOOL NANDANVAN DHARIYAWAD ,**
PRATAPGARH
पिन कोड **313605**

क्रमांक - सम्बद्धता / 1330526

दिनांक 29-Jan-2020

अस्थायी सम्बद्धता पत्र

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमोन्नति आदेश के अनुसार सम्बद्धता समिति/ बोर्ड द्वारा विचार कर निम्नांकित विषयों एवं अध्याय 13 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य शर्तों पर **माध्यमिक** परीक्षा हेतु वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

स्थायी सम्बद्धता हेतु एक सितम्बर वर्ष 2023 तक प्रपत्र (ग) में ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर दें। अन्यथा 1000 /- प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तथा इस समय तक वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार कमी पूर्ति हो जाना भी आवश्यक है।

विषय जिनमें अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गई है :-

अनिवार्य विषय : (1) Hindi (2) English (3) Science (4) Soc. Sci. (5) Maths (6) Rajasthan Addhyan (Rajasthan Study) (7) Physical and Health Education (8) Foundation of Information Technology (9) (i) SUPW AND CS (ii) Art Education

तृतीय भाषा : **Sanskrit**

माध्यम :- **HINDI**

भवदीय

Ganesh Choudhary

प्रभारी अधिकारी (सम्बद्धता)

संलग्न :- अध्याय 13 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य शर्तें

(Note - आप द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में अंकित विवरण अनुरूप ही विद्यालय को अस्थायी सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कृपया अवगत हों कि उक्त प्रमाण पत्र में अंकित विवरण में यदि कोई भिन्नता हो तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में अंकित विवरण ही विधिक रूप से मान्य होगा।)

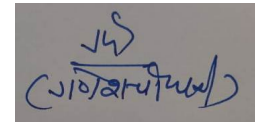
सम्बद्धता विनियम अध्याय 13 के अनुसार अनिवार्य शर्तें :

कोई भी संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर ही सम्बद्धता प्राप्त कर सकेगी और मान्य बनी रह सकेगी :

- 1 शाला राज्य के शिक्षा विभाग के निरीक्षण अधिकारियों के निरीक्षणाधीन रहेगी उसका ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा जिन्हें स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य अधिकारियों के साथ बोर्ड "औपचारिकता" निरीक्षण के लिए नियुक्त करें ।
- 2 राज्य के शिक्षा विभाग के नियमों और उपनियमों का जहाँ तक कि वे बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत न हो तो, यथावत पालन किया जावे ।
- 3 वह परीक्षार्थी को किसी अन्य बोर्ड की परीक्षा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका अथवा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए न तो तैयार करें, न भेजे, यदि उसी प्रकार की और उसी स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती हो ।
- 4 कक्षा के कमरों में प्रति विधार्थी 1 वर्गफीट के आँगन स्थल का प्रावधान करें ।
- 5 शाला विधार्थियों के प्रवेश तथा प्रवजन (Migration) के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करें ।
- 6 चाहे जाने पर वह बोर्ड की परीक्षाओं के उपयोग के लिये अपने भवन, कर्मचारीगण, फर्नीचर और उपकरणों को बोर्ड के अधीन कर दें ।
- 7 किसी विधार्थी को बोर्ड की परीक्षाओं में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश लेने के लिए तैयार नहीं करें ।

निरीक्षण की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार चिन्हित शर्तों की पूर्ति करें ।

- 1 बोर्ड मापदंडानुसार प्रायोगिक कक्षा व कक्षा-कक्षाओं का निर्माण कराया जावे ।
- 2 आवर्तक-अनावर्तक राशि बोर्ड मापदंडानुसार विभिन्न मदों पर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करें ।
- 3 आंतरिक एवं बाह्य खेल हेतु खेल के मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था की जावे ।
- 4 निम्न पदों पर नियुक्ति की जावे :-
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
5. विधार्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जावे ।
6. अध्यापको की सेवा के तहत पी.एफ. योजना लागू की जाये ।
7. पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला आवश्यक साजो-सामान से सुसज्जित किया जावे ।
8. स्थिर जमा राशि रुपये जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 60 माह के लिये जमा की जाये ।
9. कक्षा 1 से 5 तक कक्षाओं का पृथक संचालन किया जावे ।
10. प्रबंध समिति का गठन राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के उपाध्याय 4 के अनुसार किया जावे ।



Ganesh Choudhary